न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—37/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/37)

1. भंवरलाल पुत्र श्री नंदराम, जाति खाती, निवासी प्रान्हेडा, तहसील व जिला केकडी।

अपीलांट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र राधाकिशन, जाति जाट, निवासी रणजीतपुरा, तहसील व जिला केकडी।
2. हेमराज पुत्र श्रवण दरोगा
3. दुर्गालाल पुत्र श्रवण दरोगा
   समस्त जाति दरोगा, निवासीगण प्रान्हेडा, तहसील व जिला केकडी।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 12.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 26/2022

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश साहु, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—29.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों से इंकार करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना निर्णय दिनांक 12.2.2024 पारित करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया था कि अपीलांटस की खातेदारी आराजी का उपयोग कभी रास्ते के रूप में नही किया गया है और रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास उसकी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौजूद है, जिस पर से वह आता जाता रहा है। रेस्पोडेंट सं0 1 अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने के लिये गै०मु० रास्ता ख0नं0 6191/833 से ख0नं0 730 की पूर्वी मेड से होता हुआ ख0नं0 732 की पूर्वी पश्चिमी मेड पर स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से ही करता रहा है। इसलिये उक्त वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण सुविधा के आधार पर रेस्पोडेंट सं0 1 को नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जिस मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2023 के आधार पर विवादित निर्णय पारित किया है, " वह मौका रिर्पोट वर्तमान अपीलांटस की अनुपस्थिति में उसकी पीठ पीछे एक तरफा में तैयार की गई थी और उक्त मौका रिर्पोट तैयार करने बाबत वर्तमान अपीलांट को उपस्थित होने के लिये कोई नोटिस या सूचना प्रदान नहीं की गई। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसरण में उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार या आई एल आर के द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नहीं की जा सकती है। वास्तविकता यह है कि तहसील कार्यालय में बैठकर ही रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार ही उनके पक्ष की रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। जब उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट सं0 2 व 3 को पक्षकार बना लिया गया था तो उनकी विधिवत तामील करवाकर उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की विधिवत तामील सुनिश्चित किये उनकी विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर उनकी खातेदारी आराजी ख0नं0 730 में से रास्ता प्रदान करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है। वर्तमान अपीलांटस ने उनके समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया था कि अपीलांटस की भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और वहां पर अपीलांटस के बाडे, फार्म पौण्ड आदि बने हुये है। जिस पर से रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त समस्त विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये निर्णय दिनांक 12.02.2024 पारित किया है। जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो सुविधा के आधार पर नया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय दिनांक 12.2.2024 पारित किया है। अतः

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी आराजीयात ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकडी के खसरा संख्या 731 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारनी 1 में स्थित है उक्त वाद वर्णित आराजीयात में आने जाने का एकमात्र पुराना रास्ता जो करीब 30 फुट चौडा है जो गै०मु०रास्ता में से होते हुए अप्रार्थी की अराजी खसरा नंबर 737 रकबा 0.66 किस्म बारानी 1 व खसरा संख्या 730 में से रास्ता चाहा गया है इस रास्त के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है। अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकोर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जाये तथा इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने का संकट उत्पन्न हो रहा है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो वे नहीं माने तथा कहा कि तुमने इस रास्ते पर से आने का प्रयास किया तो अच्छा नहीं होगा अतः प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 731 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 730 व 737 में से 30फुट का रास्ता चाहा गया है। जिसे राजस्व रिकोर्ड में रास्ते का अंकन करते हुए प्रार्थी को रास्ता दिलवाया जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप कि आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित है। दिनांक 28.4.2022 को वादी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्ततु किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.5.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट विस्तृत एवं स्पष्ट प्रतीत नहीं होने से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु आदेश किए गए। दिनांक 8.8.2023 को तहसीलदार केकडी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 4.10.2023 को अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। दिनांक 12.1.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। तहसीलदार केकडी से प्राप्त मौका रिपोर्ट को शामिल मिसल किया गया। संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.1.2024 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाकर एक्सपार्टी की गई। दिनांक 12.2.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व आई0एल0आर और पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 12.7.2023 से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 731 रकबा 0.30 है0 में आने जाने व काश्त करने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए रास्ते खसरा नम्बर 730 व 737 के अलावा कोई सुलभ व लघुत्तम रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 731 में आने जाने के लिए चाहा गया रास्ता ग्राम रणजीतपुरा के खसरा नम्बर 730 में से 180 वर्गमीटर व 737 में से 180 वर्गमीटर व रास्ते में आई भूमि का क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर को सिवायचक सार्वजनिक गै0मु0 रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए है। उक्त दिए गए रास्ते बाबत खसरा नम्बर 730 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी 1 वाकै ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकडी जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने स्वयं शपथ पत्र दिनांक 20.2.2024 प्रस्तुत कर अपनी सहमति दी है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से उनकी आराजीयात से अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत आदेश दिए है उसकी पालना में नियमानुसार राशि प्राप्त कर ली है व निकट भविष्य में वह वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपनी आराजीयात खसरा संख्या 731 में आने जाने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। इस बाबत अपीलांट द्वारा कहे गए कथन कि उनको मौका रिपोर्ट बाबत कोई सूचना नहीं दी गई व प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एकपक्षीय है व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अपनी आराजीयात खसरा संख्या 731 में आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद है यह सब कथन निराधार है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट बनाए जाने के संदर्भ में पक्षकारान को उपस्थित रहने बाबत पूर्व में सूचित किया गया था व उक्त मौका रिपोट दिनांक 12.7.2023 के समय वर्तमान अपीलांट मौके पर उपस्थित थे अतः उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से मना किया गया व वैकल्पिक मार्ग बाबत उनके द्वारा किए गए कथन का स्पष्टिकरण उक्त मौका रिपोर्ट से स्वयं सिद्ध है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

अतः अपीलांट को प्रकरण की जानकारी थी तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है क्योंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के निकटतम व सही रास्ता आराजी खसरा संख्या 730 व 737 में से ही है चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। दिनांक 12.07.2023 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ता कायमी के आदेश दिए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

29/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner